यालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
ठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.
जस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2021/147
दायरा तिथि : 02.08.2021
आदेश तिथि : 29-06-2022

प्रार्थी :–
कंचन पत्नी समाराम जाति जणवा चौधरी निवासी बलवना तहसील सुमेरपुर

ब ना म

अप्रार्थीगण :–
1. उम्मेदराम पुत्र हीराराम
2. डूंगरराम पुत्र हीराराम
3. नेनु पुत्री हीराराम
4. प्रतापराम पुत्र हीराराम
5. मोतीलाल पुत्र हीराराम
6. शंकरलाल पुत्र हीराराम जातिगण मेगवंशी निवासीगण बिसलपुर
7. अचलाराम पुत्र मोटाराम
8. अंसीबाई पुत्री मोटाराम
9. मूलीबाई उर्फ मोहरीबाई पुत्री मोटाराम
10. लीलाबाई पुत्री मोटाराम जातिगण कुम्हार निवासीगण बिसलपुर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश   दिनांक : 29-06-2022

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित सहखातेदारी भूमि मौजा ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का, बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 730 रकबा 1.5600 हैक्टर किस्म बारानी दोयम व खसरा नंबर 731 रकबा 0.4900 हैक्टर किस्म बारानी दोयम में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि ग्राम बिसलपुर पटबार हल्का, बिसलपुर के खसरा नंबर 725 रकबा 1.20 हैक्टर किस्म बारानी दोयम व खसरा नंबर 727 रकबा 0.73 हैक्टर किस्म बारानी दोयम मेंसे नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बिसलपुर ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2022/1279 दिनांक 09.05.2022 से प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1.ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का, बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर730 रकबा 1.5600 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की भूमि कंचन पत्नी समाराम जाति चौधरी, बदीया पुत्र केसाराम, सीता पुत्री केसाराम जाति कुम्हार व खसरा नंबर 731 रकबा 0.49 हैक्टर की भूमि कंचन पत्नी समाराम जाति चौधरी व गोमाराम पुत्र हकमाराम के नाम से संयुक्त खातेदारी की राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। खातेदार की सहधारित भूमि में आवागमन के लिये प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य विकल्प मौजूद नहीं है।

2 यह कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र सं	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	725	0.28	बा.दो.	4.56X86= 392.16 वर्गमीटर	उम्मेदराम पुत्र हीराराम हि. 1/6, डूंगरराम पुत्र हीराराम हि. 1/6, नेनु पुत्री हीराराम हि. 1/6, प्रतापराम पुत्र हीराराम हि. 1/6, मोतीलाल पुत्र हीराराम हि. 1/6, शंकरलाल पुत्र हीराराम हि. 1/6 जाति मेघवंशी नि. बिसलपुर
2	727	0.73	बा.दो.	4.56X100=456 वर्गमीटर	अचलाराम पुत्र मोटाराम हि.1/4, अंसीबाई पुत्री मोटाराम हि. 1/4, मूलीबाई उर्फ मोहरी बाई पुत्री मोटाराम हि. 1/4, लीला बाई पुत्री मोटाराम हि. 1/4 जातिगण कुम्हार नि. बिसलपुर

Scanned with Oken Scanner

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2021/147
अनवान कंचन बनाम उम्मेदराम वगैरा
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

3. यह हैं कि प्रस्तावित भूमि ग्राम बिसलपुर की डी.एल.सी. दर 218106/–रूपये प्रति हैक्टर है।
4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में मौके पर कोई भी निर्मित संरचना नहीं हैं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति हैं। अतः अन्य कोई भी क्षति नहीं होगी।

प्रकरण में हितबद्ध अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 व 7 से 10 बावजूद नोटिस तामील के वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहे है। लिहाजा अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 व 7 से 10 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 6 शकंरलाल ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि रास्ता तो मिल जायेगा लेकिन मेरी कृषि भूमि 1.20 हैक्टर मापकर देनी होगी। अप्रार्थीगण संख्या 6 शंकरलाल द्वारा प्रस्तुत आपत्ति/ऐतराज धारा 251 ए रास्ता बावत स्वीकार योग्य नहीं है। वकील प्रार्थी ने तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत् सहमति व्यक्त की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि आवेदक की सहखातेदारी भूमि मौजा ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का, बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 730 रकबा 1.5600 हैक्टर किस्म बारानी दोयम व खसरा नंबर 731 रकबा 0.4900 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की भूमि में आवागमन के लिये कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2022/1279 दिनांक 09.05.2022 से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया है। धारा 251(ए) के तहत निकटतम रूट से रास्ता दिये जाने के प्रावधान हैं। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमांकःप. 3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि मौजा ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का, बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 730 रकबा 1.5600 हैक्टर किस्म बारानी दोयम व खसरा नंबर 731 रकबा 0.4900 हैक्टर किस्म बारानी दोयम में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि **ग्राम बिसलपुर** पटवार हल्का, बिसलपुर के खसरा नंबर 725 रकबा 1.20 हैक्टर किस्म बारानी दोयम व खसरा नंबर 727 रकबा 0.73 हैक्टर किस्म बारानी दोयम **मेंसे 392.16+456=848.16 वर्गमीटर रास्ता** नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार व अप्रार्थीगण को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।
राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

ख. न.	कुल क्षैत्रफल (हैक्टर)	रास्ते के लिए प्रभावित क्षैत्रफल	डीएलसी दर 218106/– रूपये प्रति हैक्टर की दर से (प्रति व.मी.)	वसूल देय प्रतिकर राशि(डीएलसी दर की दुगुनी)	नाम खातेदार
725	0.28	4.56X86= 392.16 वर्गमीटर	21.81 रूपये	**17107**	उम्मेदराम पुत्र हीराराम हि. 1/6, डूंगरराम पुत्र हीराराम हि. 1/6, नेनु पुत्री हीराराम हि. 1/6, प्रतापराम पुत्र हीराराम हि. 1/6, मोतीलाल पुत्र हीराराम हि. 1/6, शंकरलाल पुत्र हीराराम हि. 1/6 जाति मेघवंशी नि. बिसलपुर
727	0.73	4.56x100=456 वर्गमीटर	21.81 रूपये	**19891**	अचलाराम पुत्र मोटाराम हि.1/4, अंसीबाई पुत्री मोटाराम हि. 1/4, गूलीबाई उर्फ मोहरी बाई पुत्री मोटाराम हि. 1/4, लीला बाई पुत्री मोटाराम हि. 1/4 जातिगण कुम्हार नि. बिसलपुर
	कुल योग	**848.16 वर्गमीटर**	–	**36998 /–रूपये**	

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2021/147

अनवान कंचन बनाम उम्मेदराम वगैरा

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रस्तावित रास्ता में निजी खातेदार की प्रतिकर राशि **17107+19891=36998 (अक्षरे छत्तीस हजार नौ सौ अण्ठानवे रूपये मात्र)** आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर प्रभावित खातेदार को अदा की जावेगी।

तहसीलदार, बाली व निरीक्षक भू0अ0 बिसलपुर द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जावेगा। प्रभावित खातेदार द्वारा प्रतिकर राशि नहीं लिये जाने की दशा में आवेदक द्वारा नियमानुसार राशि तहसील कार्यालय बाली मे जमा कराई जायेगी।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली

क्रमॉक/कोर्ट/2022/2257-61 दिनांक : 29-06-2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 बिसलपुर
3. पटवारी हल्का, बिसलपुर
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. कंचन पत्नी समाराम जाति जणवा चौधरी निवासी बलवना तहसील सुमेरपुर को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, बाली